न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 35/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/80

प्रार्थी:–

विनोदसिंह पुत्र स्व. अर्जुनसिंह राजपुरोहित, निवासी खैरवा, तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. संतोष कवंर पत्नी सुरेशसिंह राजपुरोहित, निवासी खैरवा, तहसील व जिला पाली (राज.)
2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत खैरवा, तहसील व जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, भैराराम परिहार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सोनी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 62/2010–11, प्रस्ताव संख्या 9(1) दिनांक 05.03.2011 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 24 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी भूमि का जारी किया हुआ है। प्रार्थी के दादा हिरसिंह के चार पुत्र अर्जुनसिंह, जीवराज सिंह, सुरेशसिंह, नेमसिंह है, जिसमें से अर्जुनसिंह एवं सुरेश सिंह फौत हो चुके है। अर्जुनसिंह के दो पुत्र जितेन्द्रसिंह एवं प्रार्थी स्वयं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 संतोषकंवर, सुरेशसिंह की पत्नी है अर्थात् अप्रार्थी, हिरसिंह की वारिसान नहीं है और न ही उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व हीरसिंह के वारिसानों से कोई सहमति ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त पुश्तैनी भूमि का पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टे की मिसल की समस्त आदेशिका एक ही दिन में लिखी गयी है, प्रत्येक दिनांक पर आवॅर राईटिंग की गई तथा जिन व्यक्तियों के बयान लिये गये उनमें एक अप्रार्थी स्वयं, दुसरा बयान उनके रिश्तेदार जीवराजसिंह तथा तीसरा बयान किस व्यक्ति द्वारा दिया गया, उसका कोई नाम अंकित नहीं है। प्रकरण में स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचातयीराज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिनुरूप नहीं होने से खारिज फरमावे।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी हीरसिंह के पुत्र जीवराज सिंह के हिस्से में आयी, जिसका पट्टा हीरसिंह के पुत्र सुरेश (फौत) की पत्नी संतोष कंवर के पक्ष में जारी किया गया। जैर निगरानी याचिका हीरसिंह के सबसे बडे पुत्र के पुत्र ने पेश की है। जैर आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौके की यथास्थिति के निर्देश दिये। नेमसिंह के पुत्र व पुत्री का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय द्वारा खारिज किया गया तथा नेमसिंह के विरूद्ध चार्जशीट पेश हुई, उसके पश्चात् प्रार्थी ने यह निगरानी पेश की है। जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी न होकर वसीयत से प्राप्त हुई है, जिसे प्रार्थी स्वयं ने सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड में यदि मिसल के संलग्न बयान में हस्ताक्षर नहीं है, तो यह अप्रार्थी की गलती नहीं है। इसके अतिरिक्त नेमसिंह ने आपसी समझौता दिनांक 17.02.2010 के द्वारा ग्राम खैरवा में अपने हिस्से की भूमि अपने भाई जीवराजसिंह को दे दी थी। प्रार्थी केवल अप्रार्थी संख्या 1, जो कि विधवा महिला है, को परेशान करने की नियत से यह निगरानी पेश की है। इसलिये बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 62/2010–11, प्रस्ताव संख्या 9(1) दिनांक 05.03.2011 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 24 के विरूद्ध पेश की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य का परीक्षण किया जाना है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 पुत्रवधु होने से यह सम्पति उनकी पुश्तैनी नहीं हो सकती। विपक्षी अधिवक्ता ने उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुये उज्र किया कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी न होकर वसीयत से प्राप्त हुई है, जिसकी ताईद में नेमसिंह के पुत्र व पुत्री द्वारा सिविल न्यायाधीश, पाली में प्रस्तुत वाद का उल्लेख किया। इस सम्बन्ध में प्रकरण का पहला पहलू इस प्रकार है कि पत्रावली पर उपलब्ध वादीगण सुहानी व कृष्णा द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, पाली में प्रस्तुत वाद में यह अंकित किया कि वादग्रस्त मकान के वास्तविक मालिक, स्वामी, अधिकारी वादीगण है तथा आपसी समझौता दिनांक 17.02.2010 के अनुसार नेमसिंह ने ग्राम खैरवा में अपनी सम्पूर्ण सम्पति जीवराजसिंह को दे दी। प्रकरण के दूसरे पक्ष में देखने पर पाते है कि सिविल न्यायालय, पाली में नेमसिंह के वारिसान द्वारा वाद पेश किया गया था जिसमें प्रार्थी विनोद सिंह अथवा उसके पिता बतौर पक्षकार संयोजित नहीं थे, ऐसी स्थिति में वाद पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि जैर निगरानी आराजी पर निर्मित मकान में प्रार्थी का कोई हक अधिकार निहित नहीं हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसे कोई स्पष्ट दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर निगरानी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

आराजी अप्रार्थी के हिस्से में आयी हो, साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने जिस वसीयत का जिक्र किया है, उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। लिहाजा उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी प्रार्थी के दादा हीरसिंह की थी, जो कि प्रार्थी की पुश्तैनी सम्पति है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित होने की दशा में प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा 4163.25 वर्गफुट का जारी किया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।" है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 668 Jabbar Singh Rajput vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 97– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996–नियम 157–पुराने मकानों के लिये पट्टा का जारी करना–प्रश्नगत भूखण्ड खुले भूखण्ड थे और निर्माण मौजूद नहीं था–याचीगण के पक्ष में जारी किये पट्टों को कलेक्टर द्वारा निरस्त किये गये–भूखण्ड 300 वर्गगज से अधिक था और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की–प्रार्थना पत्र में निर्मित मकान की मौजूदगी का उल्लेख नहीं किया–मौका रिपोर्ट में पुराने निर्मित मकान का मौजूद होना नहीं दर्शाया–पुराने निर्मित मकान के तथ्य का निर्धारण नहीं किया–खुले भूखण्डों का नियमितीकरण अनुज्ञेय नहीं है–पट्टा जारी करने के लिये प्रारम्भ की गयी कार्यवाही प्रत्यक्षतः अवैध बिना क्षेत्राधिकारिता के है–निर्णीत, निगरानी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश न तो अवैध है न प्रतिकूल व यथावत रखा। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 730 Mangilal Meghwal vs State of Rajasthan Thro' District Collector, Pali & Ors अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97, 156, 157– जिला कलक्टर ने पट्टा रद्द किया–10,800 वर्गफीट माप के भूखण्ड का पट्टा जारी किया–आपसी बातचीत से भूमि का अन्तरण–दर्शाने हेतु रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं कि आपसी बातचीत द्वारा भूमि के विक्रय हेतु कभी कोई कार्यवाही की–कुछ भी खुलासा नहीं किया कि कब से याची विवादित भूमि के आधिपत्य में है–दीर्घ आधिपत्य साबित करने हेतु सामग्री नहीं–याची के पक्ष में पट्टा जारी करने का पंचायत ने सीधे ही निर्णय लिया–प्रचलित बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया–10,800 वर्गफीट की बडी भूमि रूपये 200/– के छोटे से मूल्य पर अन्तरित

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

की–सार्वजनिक भूमि हडपने का मामला–भूखण्ड पर पुराने मकान के अस्तित्व में होने की साक्ष्य नहीं–निर्णीत।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आदेशिका की दिनांक में कांटछांट की हुई है। आदेशिका दिनांक 07.10.10 के द्वारा सचिव को जैर निगरानी आराजी का नक्शा बनाने के आदेश जारी किये गये परन्तु प्रश्नगत भूमि के नक्शे प्रपत्र में न तो नक्शा बना हुआ है और न ही नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है। मौका निरीक्षण प्रपत्र में न तो मनोनीत वार्ड पचों के हस्ताक्षर है और न ही उनके द्वारा कोई राय कायम की गई है एवं न ही मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में किसी दिनांक का अंकन है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने के पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान साईक्लोस्टाईल में दर्ज है। प्रथम बयान स्वयं आवेदनकर्ता का है, दूसरा बयान जीवराजसिंह का है परन्तु उस पर बयानकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है तथा तीसरा बयान में बयानकर्ता की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही किसी के हस्ताक्षर है एवं उक्त बयान कब लिये गये इस सम्बन्ध में बयानफार्म पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। साथ ही प्रकरण में पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उस पर नोटिस जारी करने की दिनांक, डिस्पेच नम्बर अंकित नहीं है और न ही पंचायत की मोहर है तथा उक्त नोटिस के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में नोटिस की पुश्त पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है, इस स्थिति में उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, खैरवा द्वारा मिसल संख्या 62/2010–11, प्रस्ताव संख्या 9(1) दिनांक 05.03.2011 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 24 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत खैरवा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली